न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 11/2017 ::

अपीलांटगण :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जेठाराम पुत्र भीमाजी जाति मीणा निवासी बापू नगर (पालड़ी जोड़) तहसील सुमेरपुर हाल एल. 205–बी, रेल्वे वर्क्स शॉप, जोधपुर		1. तहसीलदार महोदय, सुमेरपुर 2. पुरीबाई पत्नी भेरारामजी 3. सुगनादेवी 4. लोंगादेवी 5. हुलीदेवी पिसरान भेरारामजी जातिगण मीणा 6. नवाराम पुत्र अखाराम जाति मीणा 7. मंशाराम पुत्र छोगाजी जाति मीणा 8. फुलाराम पुत्र पुरारामजी जाति मीणा निवासीगण बापू नगर (पालडी जोड) तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.) 9. श्रीमती रेखा पत्नी हीराजी जाति मीणा निवासी छावनी तहसील शिवगंज जिला सिरोही 10.गणेशा पुत्र भीमाजी जाति मीणा 11.देशाराम पुत्र भीमाजी जाति मीणा 12.गोपिया पुत्र भीमाजी जाति मीणा 13.सांकलिया पुत्र खंगारजी जाति मीणा 14.शंकरिया पुत्र ठाकरिया जाति मीणा 15.प्रकाशकुमार पुत्र रूपारामजी जाति मीणा 16.सुरेश कुमार पुत्र रूपारामजी जाति मीणा 17.ललितकुमार पुत्र रूपारामजी जाति मीणा 18.चन्द्रदेवी पुत्री रूपारामजी जाति मीणा 19.रूपाराम पुत्र पुनारामजी जाति मीणा 20.भलाराम उर्फ भंवर पुत्र पुनारामजी जाति मीणा 21.ओबाराम पुत्र पुनारामजी जाति मीणा 22. मृत रूघनाथराम पुत्र पुनारामजी जाति मीणा के विधिक वारिसान 22/1 श्रीमती गट्टुदेवी पत्नी रूघनाथराम जी उम्र 44 वर्ष 22/2 दिनेश पुत्र रूघनाथरामजी उम्र 19 वर्ष 22/3 रतन पुत्र रूघनाथरामजी उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गट्टुदेवी समस्त निवासीगण बापू नगर(पालड़ी जोड़)तहसील सुमेरपुर जिला पाली(राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित उपस्थित

रेस्पोडेण्टगण अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 09.04.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ग्राम बापूनगर (पालडी जोड़) तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 965, 963, व 962 के बंटवाड़ा आदेश द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर पारित आदेश क्रमांक/राजस्व/2012/188 दिनांक 09.04.2012 के विरुद्ध पेश की हैं।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....2

अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन एवं अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्टगण बावजूद तामील अनुपस्थित इसलिए अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा ग्राम बापू नगर (पालडी जोड) तहसील सुमेरपुर जिला पाली के ख.न. 965, 963, 962 बाबत आपसी सहमति से बंटवाडा दिनांक 09.04.2012 को स्वीकृत किया गया है। जो रेस्पोडेण्टगण व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मिलावट कर नियमों की अनदेखी करते हुए विधीविरूद्ध तरीके से किया गया है, जो खारिज योग्य है। तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाधीन बंटवाडे की न तो सही ढंग से जांच की गई, न ही बंटवाडा के संलग्न नक्शे की जांच की गई, न ही सभी सहखातेदारान से पुछताछ की गई। बिना सभी खातेदारों की उपस्थिति के ही अवैध रूप से पटवारी हल्का के माध्यम से तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह खारिज योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार आपसी सहमति से किया गया विभाजन सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में विभाजन पत्र व नक्शा तैयार कर भूमीधारी तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाता है एवं भूमीधारी द्वारा मौके की जांच कर राजस्व रेकर्ड में मौके के अनुसार ही सही विभाजन पत्र होने पर ही उसे स्वीकार किया जाता है अन्यथा नहीं। जैर अपील बंटवाडा बिना मौके की तस्दीक किए प्रमाणित किया गया है। जैर अपील विभाजन पत्र में से प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में दर्शाई गई भूमी के नीचे फोरलेन हाईवे में जाने वाली भूमी का अंकन हाथ से किया हुआ है जो बाद में कुट रचना कर हाथ से किया गया है। जहां किसी के हस्ताक्षर भी नहीं किए हुए है। जिस बाबत भी अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं है, न ही अपीलाण्ट की उपस्थिति में विभाजन पत्र में हाथ से लिखे गए है। बंटवाडा के साथ कोई नक्शा तैयार नहीं किया गया था, न ही नक्शों पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवाये गए थे। इस प्रकार सहखातेदार पटवार हल्का व भूमीधारी से मिलकर बंटवाडा में नाम दर्ज कराकर अपनी इच्छानुसार स्थान पर अपनी भूमी को दर्शा दिया है। जिससे अपीलाण्ट को सख्त प्रिज्यूडिस हुई है। नक्शे पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नक्शा अपीलाण्ट के पीठ पीछे तैयार किया गया है। जो स्वीकार योग्य नहीं है। विभाजन पत्र में अंकित ख.न. में खातेदारों के जाने हेतु रास्ता नहीं रखा गया है। अपीलाण्ट के ख.न. 963/1/4 में जाने के लिए रास्ता नहीं है। जबकि प्रत्येक खसरे में जाने के लिए रास्ता दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाण्ट के हिस्से में आये ख.न. 965/40/3, 965/40/3, 965/40/5 की भूमी जहां दी गई है। वहां अपीलाण्ट का कब्जा नहीं है एवं जहां कब्जा है वहां दूसरे सहखातेदारो की तरमीम कर दी गई है। जिससे मौके पर कब्जे को लेकर भी विवाद हो चुका है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की एवं कब्जे की जांच किए व बिना सभी सहखातेदारों को सुने व सुनवाई का अवसर प्रदान किए आदेश पारित किया है। जो न्यायोचित नहीं होने से अपास्त योग्य है। खसरा नम्बर 965/8, 965/40, 965/11, 965/10 व 965/9 की भूमी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं हैं। उसके बावजूद भी बंटवाडे में स्याही से हाथ से अंकन किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फोरलेन हाईवे में आवाप्त भूमी एंव अलग–अलग रकबा दर्ज किया है। जबकि उपरोक्त खसरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है तो आवाप्त किस प्रकार की जा सकती है। क्र.स. 2 पर दर्ज बंटवाडे में सकु बेवा पूना फौत बताया गया है। जबकि प्रार्थना पत्र के प्रारंभ में सकू बेवा पूना कौम मीणा हिस्सा 1/3 दर्ज है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....3

बंटवाडे के साथ राजस्व नक्शा ट्रेस लगा नहीं है न ही राष्ट्रीय राजमार्ग 14 को दर्शाया गया है। तहसीलदार, पटवार हल्का अथवा भू अभिलेख निरीक्षक की भौतिक रूप से बंटवाडा अनुसार सभी खातेदार काबिज होने बाबत रिपोर्ट मातहत तहसीलदार सुमेरपुर की पत्रावली में नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने, सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना ही पारित किया गया है। इस बाबत न ही कोई नोटिस दिया, इसलिए अपीलाण्ट को निर्णय की जानकारी नहीं थी। इसकी सर्वप्रथम जानकारी 15.05.2012 को हुई। जब रेस्पोडेण्टगण ने बताया कि भूमी का विभाजन हो चूका है तब नकलें प्राप्त की, लेकिन अपीलाण्ट के बीमार हो जाने के कारण करीब 20 दिन बाद वकील से सम्पर्क कर अपील पेश की जो 15.05.2012 को जानकारी अन्दर म्याद शुमार फरमावें एवं उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाण्ट के हक हकूकों का प्रश्न अवधारित हो, वहां पर म्याद के बिन्दु को गौण मानते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम बापूनगर (पालडी जोड) तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 965, 963, व 962 के बंटवाड़ा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश कमांक/राजस्व/2012/188 दिनांक 09.04.2012 के किया गया हैं। बंटवाडा लिखित के साथ प्रस्तुत नक्शा पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है। फिर भी इसी नक्शानुसार आदेश पारित किया गया है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। जो न्यायोचित नहीं है। बंटवाडा हेतु जो प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2012 को तहसीलदार भू अभिलेख के नाम पेश किया गया है उस पर तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किए जाने की मोहर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए है। बंटवाडा प्रार्थना पत्र पर आवेदन कर्ता हुली देवी, मंशाराम, रेखा, देशाराम, शंकरिया व रघुनाथराम कई खातेदारों के हस्ताक्षरों का अभाव है। बंटवाडा प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 1 पर पहचानकर्ता पटवार हल्का कोलीवाड़ा है जबकि पृष्ठ संख्या 2, 3 व 4 पर दर्ज खातेदारों के हस्ताक्षर व उनके फोटो की पहचान किसी के द्वारा नहीं की गई जो विधी सम्मत नहीं है। मात्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2012 जो तहसीलदार (भू. अभिलेख) सुमेरपुर के समक्ष पेश किया गया उसके पृष्ठ भाग पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि पटवार हल्का पालड़ी व भू अभिलेख निरीक्षक से जांच कराई गई, लेकिन जांच रिपोर्ट पत्रावली में नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के अनुसार आपसी सहमति से किया गया विभाजन सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में विभाजन पत्र व नक्शा तैयार कर भूमीधारी तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाता है एवं भूमीधारी द्वारा मौके की जांच कर राजस्व रेकर्ड में मौके के अनुसार ही सही विभाजन पत्र होने पर ही उसे स्वीकार किया जाता है अन्यथा नहीं। तहसीलदार द्वारा आपसी रजामंदी बाबत सभी खातेदारों के समक्ष उनकी सहमती से बाद मौका जांच तस्दीक किया जाना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा ऐसा न कर मात्र तस्दीक किया गया है। जो न्यायोचित नहीं है। जैर अपील विभाजन पत्र में से प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में दर्शाई गई भूमी के नीचे फोरलेन हाईवे में जाने वाली भूमी का अंकन हाथ से किया हुआ है। जहां किसी के हस्ताक्षर भी नहीं किए हुए है, इस प्रकार टाईपसुदा दस्तावेज पर बाद में हाथ से किसी प्रकार का अंकन बिना हस्ताक्षर के विधी सम्मत नहीं है। अपीलाण्ट के अनुसार उसकी उपस्थिति में विभाजन पत्र में हाथ से लिखे गई इबारत नहीं थी जो बाद में लिखी गई है तथा खसरा नम्बर 965/8, 965/40, 965/11, 965/10 व 965/9 की भूमी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं हैं।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश.....4

उसके बावजूद भी बंटवाडे में स्याही से हाथ से अंकन किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 14 फोरलेन हाईवे में भूमी आवाप्त की गई है एंव इन खसरो का अलग–अलग आवाप्त सुदा रकबा अंकन किया हुआ है। जबकि उपरोक्त खसरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है तो आवाप्त किस प्रकार की जा सकती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर मातहत अदालत द्वारा किया गया बंटवाडा विधी सम्मत एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार सुमेरपुर के आदेश कमांक/राजस्व/2012/188 दिनांक 09.04.2012 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को पुनः सभी पक्षकारान को सुनवाई का पुरा मौका देते हुए नियमानुसार बंटवाड़ा स्वीकृती बाद मौका जांच के किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)